भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 4122

गुरुवार, 18 जुलाई, 2019/27 आषाढ़, 1941 (शक)

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोक परिवहन सेवा

4122. श्री गौतम गंभीरः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों के लिए सरकार द्वारा कितनी डीटीसी और क्लस्टर बसें चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या लोक परिवहन पर निर्भर यात्रियों को बसों की कमी के कारण घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़ी संख्या में यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बसों की संख्या बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोक परिवहन में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार :

(क): वर्तमान में, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों के लिए एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के 437 शहर मार्गों एवं 8 एनसीआर मार्गों पर 3796 डीटीसी बसें चलाई जा रही हैं तथा 149 शहर मार्गों पर 1679 क्लस्टर बसें चलाई जा रही हैं।

(ख): जी, नहीं।

(ग): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बसों को शामिल करने / खरीदने की योजना बनाई है: -

(i) क्लस्टर स्कीम के तहत 1000 मानक फ्लोर हाइट गैर-एसी सीएनजी बसों (विकलांग व्यक्तियों के लिए लिफ्ट के साथ) को शामिल करने के लिए 4 अलग-अलग समूहों के चयनित निविदादाताओं के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ii) चार समूहों में 1000 लो फ्लोर हाइट एसी सीएनजी बसों को शामिल करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदाएं 01.02.2019 को खोली गईं। 3 रियायतग्राहियों को चयनित निविदादाताओं के लिए कार्य सौंपने के पत्र (एलओए) जारी किए गए हैं।

(iii) इलेक्ट्रिक बसें जो कि एक नई प्रौद्योगिकी है, उचित प्रौद्योगिकी सुझाने के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्त किया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने क्लस्टर स्कीम के तहत 1000 लो फ्लोर हाइट एसी शुद्ध इलेक्ट्रिक बसों को चरण-वार शामिल करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था।

(घ): (i) 343 किमी लंबाई के दिल्ली मेट्रो के मौजूदा नेटवर्क के अलावा, लगभग 6.3 किमी मेट्रो लाइन का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के चरण-IV का प्रस्ताव, जिसमें 103.93 किलोमीटर लंबाई वाले 6 कॉरिडोर हैं, को कतिपय शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। चरण-IV परियोजना के कार्यान्वयन से दिल्ली मेट्रो की कुल लंबाई 453.93 किलोमीटर हो जाएगी।

ii) परिवहन विभाग ने सभी मौजूदा डीटीसी और क्लस्टर बसों के स्वचालित वाहन ट्रैकिंग के लिए सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस उपकरणों की स्थापना के लिए परिवहन विभाग हेतु परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए परामर्शदाता (अर्थात मैसर्स अर्न्स्ट ऐंड यंग एलएलपी) का चयन किया है। निविदा में अन्य बातों के साथ-साथ सभी मौजूदा डीटीसी और क्लस्टर बसों के स्वचालित वाहन ट्रैकिंग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना किया जाना शामिल है।

iii) सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में सामान्य आवागमन कार्ड अगस्त, 2018 से लागू किया गया है। यात्रियों द्वारा बस-किराया का भुगतान अब डीएमआरसी स्मार्ट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। डीटीसी और क्लस्टर बसों में डीएमआरसी मेट्रो कार्ड का उपयोग किए जाने पर किराए में 10% छूट प्रदान करके इस सुविधा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सेवा की गुणवत्ता को अधिकतम करने और सार्वजनिक परिवहन के लिए पहुंच के उद्देश्य से शहर में वर्तमान यात्रा की मांग को वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित करने के बाद सभी मौजूदा सिटी बस मार्गों और अंतिम छोर तक संपर्कता संबंधी आवश्यकताओं का एक व्यापक रूट युक्तिकरण अध्ययन करने के लिए परामर्शदाता को भी नियुक्त किया है। परिवहन विभाग को परामर्शदाता से "रूट युक्तिकरण और अंतिम छोर तक संपर्कता अद्यतन अध्ययन" अंतिम रिपोर्ट का मसौदा प्राप्त हुआ है और इसमें सभी हितधारकों से टिप्पणियों को शामिल करते हुए इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। नजफगढ़ क्षेत्र से संबंधित अध्ययन का एक हिस्सा पहले से ही एक पायलट परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया गया है।

*****